

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज0,
'कर-भवन', अजमेर

क्रमांक: एफ-7(57)जन/2013/ 740-52

दिनांक: 3/2/15

**समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं पदेन (कलक्टर)
मुद्रांक विभाग,
राजस्थान।**

विषय : विशेष राहत योजना 2014 के तहत बकाया ब्याज एवं शास्ति की छूट के बाबत आवश्यक इन्द्राज के क्रम में।


महोदय,

राज्य अधिसूचना प.2(6)वित्त/कर/2014-143 दिनांक 16.12.14 (समय समय पर यथा संशोधित) द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा-9क के अन्तर्गत मुद्रांक प्रकरणों में रियायत दी गई है। जयपुर टेक्स बार एसोसियेशन जयपुर के द्वारा विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि योजना की पालना में जमा करावने योग्य राशि जमा कराने के उपरान्त भी जमाकर्ताओं को कलक्टर (मुद्रांक) एवं उप-पंजीयक द्वारा कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया जा रहा है जिसमें "No-demand/No Dues" का अंकन किया हुआ हो।

अतः इस संबंध में राशि जमा कराते समय दी जाने वाली रसीद में अथवा पृथक प्रमाण-पत्र जारी कर यह उल्लेख किया जावे कि "स्टाम्प ड्यूटी की बकाया राशि रियायत योजना 16.12.14 (समय समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत जमा करायी गयी है, जिसमें ब्याज व शास्ति की छूट नियमानुसार प्रदान कर दी गई है।"

इस बाबत आप अपने स्तर पर सभी संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रेषित करायें।

भव दी य,



(के.बी. गुप्ता)

महानिरीक्षक,

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान-अजमेर